क्रमांक–26

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग–दो

सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2026 (फाल्गुन 25, 1947)

मान्नीय राज्यपाल महोदय द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक की सूचना

"छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006)" माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 को संदेश के साथ लौटाया गया है। संदेश इस प्रकार है :–

"छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006)" राज्य विधान सभा द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2006 को पारित कर मेरी अनुमति एवं हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त विधेयक मेरे द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत माननीय राष्ट्रपति जी के विचार हेतु आरक्षित किया गया।

इस संदर्भ में भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 17/03/2013–Judl.&PP, दिनांक 17.09.2025 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय को प्राप्त हुआ है कि विधेयक की तीन प्रमाणिक प्रतियां राज्य सरकार द्वारा वापस लिये जाने के कारण एतदद्वारा वापस की जा रही है।

अतः विधेयक पर पुनर्विचार हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार "छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006)" लौटाया जाता है।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा